न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2022/242

बाबूलाल पुत्र धन्नालाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0।

––अपीलान्ट

बनाम

कमल कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण आयु बालिंग निवासी ग्राम भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रवि दत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रामकुमार दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 24.07.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण सं0 67/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 28 पुराना 21 की खसरा सं. 452 रकबा 3.9174 हैक्टेयर वाके ग्राम भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 में विस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि के संबंध मे प्रार्थी के द्वारा जमाबंदी सम्वत 2076–2076 प्रस्तुत है। जिसमें प्रार्थी निर्वाच रूप से काबिज काश्त है एवं अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य कर रहे है एवं प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि को उपजाउ बनाने के लिये काफी पैसा खर्च किये है और कृषि योग्य बनाया है परन्तु अप्रार्थी सं. 1 जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी सं. 1 को कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पास ही अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि दर्ज है उक्त कृषि भूमि के पास अप्रार्थी की भूमि का कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है इसके बावजूद भी अप्रार्थी स. 1 दादागिरी व ताकत के बल पर प्रार्थी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है एवं रास्ता निकालना चाहता है क्योंकि वर्तमान में प्रार्थी की भूमि पर मेघा हाईवे नोर्दन बाईपास निकल गया है तो अप्रार्थी अपनी भूमि की कीमत बढ़ाने के लिये प्रार्थी की भूमि से रास्ता निकालने पर आमादा हो रहा है। अतः प्रार्थी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय से अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया जिससे अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित निहित प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा न करे खुर्द बुर्द न करे, कृषि स्वरूप का नष्ट न करे, रहन बेचान, दान न करे, प्रार्थी को कृषि कार्य

करने से न रोके, प्रार्थी की भूमि पर रास्ता का निर्माण नही करावे, उक्त कार्य न तो स्वंय करे, ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.09.2022 को अप्रार्थीगण को मौका रिपोर्ट प्राप्त होने तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किया कि वे प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 452 रकबा 3.9174 हैक्टेयर वाके ग्राम भोपतपुरा तह0 तालेड़ा पर कृषि उपकरण निकालकर फसल खराब नहीं करें, रास्ते का निर्माण नहीं करे, न ही प्रार्थी की कृषि भूमि से आवागमन करे, न ही अपने प्रतिनिधी से करवाये।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2022 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.09.2022 के अंतर्गत दिया गया आदेश निरस्त किया जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) आर टी एक्ट के अर्न्तगत रास्ता घोषित करने राजस्व नक्शे एवं रिकॉर्ड में स्थापित करने बाबत् रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध इस आशय का दिनांक 03.08.2022 को प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट के खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं0 396 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा सं0 809 / 674 रकबा 0.5261 हैक्टेयर खसरा सं0 816/373 रकबा 2.1610 हैक्टेयर, खसरा सं0 822/454 रकबा 0.7284 हैक्टेयर, खसरा सं0 872/424 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.8232 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमियों वाके ग्राम भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी मे विस्थित है जिसका अपीलान्ट रिकॉर्डेड खातेदार है। अपीलान्ट की कृषि भूमि चरण सं० 1 में वर्णित भूमियों में से खसरा सं0 822/454 रकबा 0.7284 हैक्टेयर पर कृषि काश्त करने एवं आने जाने कृषि उपकरण एवं फसल इत्यादि लाने ले जाने का एक शिकमी श्रेणी का रास्ता रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि खसरा सं0 452 के दक्षिणी मेड के सहारे स्थित नहरी पानी धोरा के पास से लगभग 12 फीट चौडा रास्ता मौके पर विद्यमान है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अकित नही है। जिस पर अपीलान्ट एवं अन्य काश्तकार रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि पर स्थित रास्ते से आवागमन कर अपनी कृषि भूमि पर आते जाते है। उक्त रास्ता 100 वर्षो से स्थापित होकर चला आ रहा है। जिस पर होकर अपीलान्ट अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य हेतू पहुंचता है। उक्त रास्ते को जो रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि खसरा सं0 452 के दक्षिणी मेड पर होकर कायम बना हुआ है। उस रास्ते को

रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 24.06.2022 को जबरन टैक्ट्रर से हाकर नष्ट कर दिया। रास्ते का स्वरूप विलोपित कर रास्ते की भूमि को कृषि भूमि में संयोजित कर, रास्ते की भूमि में फसल की बुवाई कर दी। जिससे अपीलान्ट कृषि भूमि पर पहुंचने पर बाधा उत्पन्न हो गई जिसकी शिकायत अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध थानाधिकारी तालेडा को प्रस्तुत करने पर थानाधिकारी तालेडा द्वारा पुलिस थाना तालेडा में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध दिनांक 11.07.2022 को अर्न्तगत धारा 107,151 (3) जा0फौ0 में प्रकरण कायम कर रेस्पोडेन्ट को गिरफ्तार किया जाकर एस डी एम तालेडा के समक्ष प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट को 10,000 /– रूपये के जमानत मुचलके पर 6 माह के लिये पाबंद किया गया। दिनांक 11.09.2022 को रिहा किया गया जिसकी नकल प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न है। जिस पर गवाहान् रामफूल पुत्र बाबूलाल, बाबूलाल पुत्र धन्नालाल, शम्भुदयाल पुत्र रामलाल, दशरथ सिंह पुत्र केसर सिंह के बयान लिपिबद्ध किया जाकर प्रकरण में रास्ता पूर्ववत समय से ही कायम होना प्रकूट किया है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा रास्ता नष्ट करने का कथन स्तगासा से प्रमाणित है। अपीलान्ट द्वारा राजस्थान टीनेसी एक्ट की धारा 251 (क) के अर्न्तगत त्वरित रास्ता बहाल कराने एवं अपीलान्ट को अपनी कृषि भूमि पर पहुंचने के लिये रेस्पोडेन्ट के द्वारा बाधित रास्ता अत्यन्त आवश्यक श्रेणी का होने की स्थिति में त्वरित समस्या का निस्तारण किये जाने बाबत् प्रस्तुत करने पर एवं रेस्पोडेन्ट को नोटिस दिनांक 01.08.2022 को जारी करने एवं नोटिस प्राप्ति के बाद एवं पुलिस थाना कार्यवाही दिनांक 11.07.2022 से व्यथित होकर दुर्भावनापूर्वक रेस्पाडेन्ट ने एक वाद न्यायालय एस डी ओ तालेडा के यहां प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की जिस पर तालेडा उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना अपीलान्ट के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को कन्सीडर किये बिना अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तरिम पारित कर अपीलान्ट का आवागमन पर रोक लगा दी जिससे अपीलान्ट को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने मे अपूरणीय बाधा उत्पन्न हो जाने से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील निरस्त किये जाने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतू प्रस्तुत की गई है। अपील में सारग्रभित विधिक तथ्य निहित होने से अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अपील में मुख्य कानूनी तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र 212 पर अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 07.09.2022 को अपीलान्ट के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) को कन्सीडर किये बिना ही पारित कर दी गई है। जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने तथा मूलभूत आवश्यकता होने के बावजूद भी अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र बाबत् कोई टिप्पणी आदेश अकिंत नही किया गया है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशिका दिनांक 07.09.2022 अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत 212 आर टी एक्ट का प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किये बिना ही अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित कर दी गई है जिसके अभाव में अपीलान्ट उक्त संदर्भ में अपना कथन प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में नोटिस जारी किया जाना तथा पर्याप्त तलबी जारी किये जाने के अभाव में अधीन्स्थ न्यायालय की आदेशिका निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 212 का प्रार्थना पत्र के विधिक कानूनी बिन्दुओ का विश्लेषण किये बिना ही अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रदान की गई है। जबकि प्रथम दृष्टाया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु निर्धारण किया जाना आवश्यक है तथा उसके बाद अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी निर्णीत आदेशिका दिनांक 07.09.2022 में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कथन एंव दस्तावेज बाबत् कोई टिप्पणी अथवा कथन अकिंत नही किया है। ऐसी

स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.09.2022 में दिया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251 (क) को निर्णीत करने में उदासीन रवैया अपनाया गया है। जबकि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 251 (क) विधि के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुती तिथि से 90 दिवस की अवधि में प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है जबकि इस प्रकरण में कोई आवश्यक कार्यवाही नही की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिका दिनांक 07.09.2022 न्यायोन्मुखी एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के प्रस्तुत दस्तावेज खातेदार कृषक जमाबदी, पुलिस थाना तालेडा कार्यवाही दिनांक 11.07.2022 एवं अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना ही आदेशिका जारी कर अपीलान्ट के रास्ते को अवरुद्ध करने का आदेश पारित कर दिया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेशिका दिनांक 07.09.2022 अर्न्तगत धारा आर टी एक्ट के अर्न्तगत 225 की अनुसरण में अपील पोषणीय होने से अपील संधारण योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना तालेड़ा जिला बून्दी की ओर से उपखण्ड अधिकारी तालेड़ को सम्बोधित इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107–151(3) सी.आर.पी.सी. दिनांक 11.07.2022 की सत्य प्रतिलिपी, अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2021(1) डी.एन.जे.(राज.) पेज 291, आर.आर.टी. 2022(1) पेज 268, 2022(1) आर.आर.टी. पेज 65, आर.आर.टी. 2021(2) पेज 1417 प्रस्तुत किया। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.09.2022 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पेश किया और कथन किया कि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम की चरण सं0 01 के तथ्य तथ्यात्मक है। विलंब क्षमा का उचित व संतोषप्रद कारण स्पष्ट नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 02 अस्वीकार है क्योंकि कानूनी नियमों की जानकारी नहीं होना विलंब क्षमा किये जाने का आधार नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 03 अस्वीकार है। जवाब दावा द्वारा मूल वाद मात्र स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया था। वाद संबंधित अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में सहमति के आधार पर मौके की स्थिति बाबत् कमिश्नर से रिपोर्ट मंगवायी गयी थी। पत्रावली में अंतरिम आदेश पारित किया गया है। मिसलेनियस अस्थायी निषेधाज्ञा पत्रावली में अंतिम रूप से आदेश पारित नहीं किया गया है। पत्रावली विचारण न्यायालय में सुनवाई हेतु लंबित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील पोषणीय नहीं है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील लाई गयी है। यह अपील पोषणीय नहीं है। अपीलांट रिविजन में जा सकते है। हमने अधीनस्थ न्यायालय में वाद 18.07.2022 को ही पेश कर दिया जबकि अपीलांट ने 01.08.2022 को 251 ए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अर्थात् अपीलांट हमें परेशान कर रहा है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फौजदारी थाने की रिपोर्ट/बयान आदि से स्थिति हमारे पक्ष में है। अपीलांट का आपराधिक प्रवृति के लोगों का समूह हैं। जो रेस्पो0 प्रार्थी को परेशान करता रहता है। अपीलांट के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब आदि के पूरे अवसर है। ये अधीनस्थ न्यायालय में चैलेंज कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही अभी चल रही है। ये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख सकते है। अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपील अपीलांट खारिज कर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2022 को यथावत रखने हेतु निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 07.09.2022 के अनुसार स्वयं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 07.09.2022 के समय अधिवक्ता अप्रार्थी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे। अप्रार्थी अपीलांट को उसी समय अस्थायी निषेधाज्ञा के अंतिम निस्तारण हेतु निवेदन करना चाहिए था। इसके विपरित आदेशिका दिनांक 22.09.2022 वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि अपीलांट अप्रार्थी के पास प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.09.2022 को चैलेंज करने व अपना पक्ष रखकर अंतिम रूप से प्रार्थना पत्र निर्णित करवाने के पर्याप्त अवसर थे। हमारे मत में आदेश दिनांक 07.09.2022 मौका रिपोर्ट प्राप्त होने तक है। अतः उभयपक्षकारान अविलंब मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे। अधीनस्थ न्यायालय से इस संबंध में निवेदन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.09.2022 अंतरिम अस्थायी आदेश की प्रकृति का है अर्थात् यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. पर अंतिम आदेश नहीं है। इस अंतरिम आदेश को अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती देने के अपीलांट अप्रार्थी के पास पर्याप्त अवसर थे। अतः हस्तगत प्रकरण की वर्तमान स्टेज पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.2022 में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। अपीलांट अप्रार्थी को पहले अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखकर प्रकरण में अंतिम आदेश/निर्णय करने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 07.09.2022 में दिया गया आदेश यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा